न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–7 / 2024
GCMS NO:- 2024/78

दायर दिनांक: 14.05.2024
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

नरेश नागर आ0 शंकरलाल जाति धाकड नि0 देवपुरा ग्रा.प. आंतरदा तहसील नैनवॉ वगै0। (कुल 2)
– प्रार्थीगण

बनाम

ओमप्रकाश आ0 गोपीवल्लभ जाति ब्राह्मण नि0 आंतरदा तहसील नैनवॉ वगै0। (कुल 13)
–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार पाण्डेय।

निर्णय दिनांक 20.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम आंतरदा मे जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 314 पुराना 15 के अनुसार खसरा नम्बर 871, 898, 927, 929, 930, 931, 932, 936, 937, 938 कुल किता 10 कुल रकबा 4.0452 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 3 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है एवं खाता संख्या नया 16 पुराना 09 के अनुसार खसरा नम्बर 922, 923, 924, 925, 926, 940 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4707 हैक्टयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 3 लगायत 11 की संयुक्त खातदोरी अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 929 पर आने जाने का एकमात्र रास्ता आंतरदा से आरी के बालाजी जाने वाली डामर सडक के पूर्वी ओर स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 922 की उत्तरी मेड व खसरा नम्बर 925 की दक्षिणी मेर के सहारे सहारे होकर नक्शा परिशिष्ट क मे लाल स्याही से अ ब मार्क से दर्शाये अनुसार स्थित है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण सदैव से निरन्तर व निर्बाध रूप से करते चले आ रहे है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 उक्त रास्ते को ताकत के बल पर बन्द करने पर आमादा हो रहे है जिसका अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। उक्त रास्ते के अलावा उक्त भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नही हे।

प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित खसरा नम्बर 922 व 925 मे से 25 फीट चौडा तथा पश्चिम से पूर्व संपूर्ण लम्बाई मे नक्शा परिशिष्ट क मे लाल स्याही से अ ब मार्क से दर्शाये अनुसार अपने खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 929 मे पहुंचने के एक मात्र रास्ते को अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे करवाये जिसके लिए प्रार्थीगण नियमानुसार राशि अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 929 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा विना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ